हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/12/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/2/23 को पेश हो।	
22/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/4/23 को पेश हो।	
27/4/23 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 21/6/23 नियत की जाती है।	
21/6/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित I.P.O. साहब दौरे पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/8/23 को पेश हो।	
8/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार एवं मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा चुका है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील प्रतिवादी ने भी निवेदन किया कि पक्षकारान में हुये राजीनामा एवं मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः दावा एफ.डी. का दिया जावें। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर कब्जे अनुसार एवं राजीनामा बटवारा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष के अधिवक्ता भी सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत है।	Singh

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:44:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2022/4351 दिनांक 21.06.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।
	राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:44:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner